[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं0 25/2016- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2016

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 49/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 882(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)
"88A.	8517 69 30	राउटर	20".

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 49/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में, सं. सा.का.नि. 882(अ), 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 12/2016-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2016, सा.का.नि. 243(अ),द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।